

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



क्रमांक/अका./2017/587  
प्रेषक:-  
कुलसचिव,  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर  
प्रति,

जबलपुर, दिनांक 20/2/2017

प्राचार्य,

विषय:- सत्र 2017-18 की संबद्धता शुल्क/निरंतरता शुल्क की राशि जमा करने बाबद।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के संबंध लेख है कि विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक 18.01.2017 के पद क्रमांक 16(i) में एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 02.02.2017 में लिये गये निर्णयानुसार जो संबद्धता शुल्क/निरंतरता शुल्क की राशि सत्र 2016-17 हेतु निर्धारित की गई थी वही संबद्धता शुल्क/निरंतरता शुल्क की राशि सत्र 2017-18 हेतु मान्य की गई है। उक्त संबद्धता शुल्क एवं निरंतरता शुल्क की राशि 01/01/2017 से 31/03/2017 तक बिना विलम्ब शुल्क के साथ संबद्धता शुल्क/निरंतरता शुल्क की पूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य है। दिनांक 01/04/2017 से 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क 30/06/2017 तक देय होगा। एवं दिनांक 01/07/2017 से 100 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों को 31/12/2017 तक जमा करना अनिवार्य होगा। संबद्धता शुल्क/निरंतरता शुल्क जमा की रसीद अकादमिक विभाग में जमा करना अनिवार्य है। संबद्धता शुल्क/निरंतरता शुल्क की रसीद प्रस्तुत करने के उपरान्त ही संबद्धता सम्बन्धी आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव,

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर

क्रमांक/अका./2017/587 "अ"  
प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

जबलपुर, दिनांक 20/2/2017

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा मवन, पाँचवीं मंजिल, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, शास0 आदर्श विज्ञान परिषद जबलपुर संभाग, जबलपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
4. वित्त नियंत्रक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
5. उप कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय विभाग, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
6. सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर सेंटर, रा0दु0वि0वि0, जबलपुर कि और इस निवेदन के साथ कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करावे।
7. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

अनुभाग अधिकारी(अकादमिक),  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर